



संख्या-59/2023/1/398461/2023/002-77-3002-003-5-2023

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

यूपीडा, पर्यटन भवन,

गोमती नगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक: 30/09/2023

विषय:-उ0प्र0 डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना के जनपद लखनऊ नोड के अन्तर्गत तहसील सरोजनीनगर के ग्राम भटगांव हेतु 33/11 के0 वी0 1X10+1X5 MVA विद्युत उपकेन्द्र आवश्यक 14 कि0 मी0 डबल सर्किट 33 के0 वी0 लाइन व 7 कि0 मी0 डबल सर्किट 11 के0 वी0 लाइन के निर्माण कार्य हेतु धनराशि आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक-1435/यूपीडा/तकनीकी/डिफे0कारि0/2217/2023 दिनांक 20.09.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना की स्थापना हेतु लखनऊ नोड की तहसील सरोजनीनगर के ग्राम भटगांव हेतु 33/11 के0 वी0 1X10+1X5 MVA विद्युत उपकेन्द्र आवश्यक 14 कि0 मी0 डबल सर्किट 33 के0 वी0 लाइन व 7 कि0 मी0 डबल सर्किट 11 के0 वी0 लाइन के निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रु0 रु0 2910.44 लाख (18 प्रतिशत जीएसटी सहित) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु लागत के सापेक्ष द्वितीय किशत के रूप में रु0 1018.65 लाख (रुपये दस करोड़ अठारह लाख पैंसठ हजार मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	लखनऊ	उ0प्र0 डिफेन्स कॉरिडोर के लखनऊ नोड की तहसील सरोजनीनगर के ग्राम	2910.44	727.61	1018.65

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		भटगांव हेतु 33/11 के0 वी01X10+1X5 MVA विद्युत उपकेन्द्र आवश्यक 14 कि0मी0 डबल सर्किट 33 के0वी0 लाइन व 7 कि0 मी0 डबल सर्किट 11 के 0 वी 0 लाइन के निर्माण कार्य			
--	--	--	--	--	--

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माणकर्ताओं/कार्यदायी संस्था को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य मदों पर और स्वीकृत लागत सीमा में ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र /कार्य का सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार , उ 0 प्र 0 प्रयागराज , कार्यालय स्थानीय निधि लेखा परीक्षा , उ 0 प्र 0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाए।
- (4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं 0-2/2023/ बी- 1-227/ दस- 2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार , बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों , स्थायी आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
- (6) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।
- (7) उक्त परियोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथागवत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,18,65,000 (रुपये दस करोड़ अठारह लाख पैंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार मौर्य),
उप सचिव,

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
9. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग उ०प्र० शासन ।
10. वित्तस नियंत्रक, यूपीडा।
11. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य),
उप सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।